मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना क्रमांक 05/01/परीक्षा/2016, दिनांक 10.01.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2014 तथा 2016

शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण की सूचना

शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **16.02.2018**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2014, दिनांक 09.07.2014 तथा 01/परीक्षा/2016, दिनांक 19.02.2016 प्रकाशित किए गए थे।

02 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर उक्त दोनों विज्ञापन क्रमश: सूचना क्रमांक 06/01/परीक्षा/2014, दिनांक 23.09.2015 तथा 04/01/परीक्षा/2016, दिनांक 18.08.2017 द्वारा निरस्त किए गए थे। आयोग की सूचना क्रमांक 01/विज्ञापन/2015, दिनांक 13.01.2016 द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों से शुल्क वापसी के आवेदन प्राप्त कर जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी के आवेदन किए गए थे उनके बैंक खातों में शुल्क वापस भी किया गया था।

03 आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2016** के अभ्यर्थियों तथा **सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2014** के उन अभ्यर्थियों की, जो पूर्व में शुल्क वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सके थे, शुल्क वापसी का निर्णय लिया गया है। शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए लिंक के माध्यम से शुल्क वापसी हेतु आवेदन कर सकेगें।

04 शुल्क वापसी ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में की जाएगी। शुल्क वापसी की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

1. शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **17.01.2018** से **16.02.2018** तक किए जा सकेंगें। दिनांक **16.02.2018** को रात्रि 12:00 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बंद कर दी जाएगी। शुल्क वापसी के ऑनलाइन आवेदन केवल उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गए लिंक के माध्यम से किया जा सकेगा अन्य किसी विधि से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. शुल्क वापसी के Module में विहित स्थान पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा शुल्क का विवरण तथा अभ्यर्थी की मूल जानकारियों प्रदर्शित होगी जिसकी पुष्टि के बाद अभ्यर्थी शुल्क वापसी के आवेदन को भरेगा। शुल्क वापसी आवेदन में अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने स्वयं के बैंक खाते के विवरण यथा; खाता क्रमांक, बैंक का नाम, IFSC कोड दर्ज करना होगा तथा अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट जिसमें खाता क्रमांक, खाता धारक का नाम, बैंक के IFSC कोड आदि स्पष्टत: अंकित हो अपलोड कर शुल्क वापसी हेतु आवेदन करेगा।

3. समस्त प्राप्त शुल्क वापसी आवेदन के परीक्षण उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी के बैंक खाते में शुल्क की राशि का ऑनलाइन पद्धति से भुगतान किया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें की उनके द्वारा प्रविष्टियों में की गयी किसी भी त्रुटि के कारण यदि उनका ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ मे कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

03 जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी की उक्त सुविधा का उपयोग करते हुये निर्धारित समयावधि में शुल्क वापसी का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उनके द्वारा बाद में शुल्क वापसी हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

उप सचिव